

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :-महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :-57/2020 ज्ञा०पञ्च

1. श्री मांगूनाथ शं० सुरजानाथ जोगी नि०फा०को०लि०पा - वगैरहा

—प्रार्थी।

बनाम

1. श्री रामजीत शं० रंगनाथ रावणा-राजपूत नि०फा०को०लि०पा - वगैरहा

—विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 24/8/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के हत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फा०को०लि०पा पटवार हल्का चिताम्बा 030नि0 क्षेत्र चिताम्बा में उनके खाता संख्या 171 की आ0नं० 530/1 1558/379 जिला कित ११ रकबा ०.1० चिताम्बा ०.०४ स्थित है।

वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5/6/20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की रा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम फा०को०लि०पा पटवार हल्का चिताम्बा भू0अ0नि0 क्षेत्र चिताम्बा में उनके खाता संख्या 171 की आ0नं० 530/1, 1558/379 जिला कित ११ रकबा ०.1० चिताम्बा ०.०४ स्थित है।

प्रार्थी के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भूअ.नि० चिताम्बा को 400/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर के पास प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल लड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

लंगन :-प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखंड अधिकारी  
करेडा (जिला भीलवाडा)

तिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी  
करेडा (जिला भीलवाडा)